कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा एवं पदेन उप–सचिव छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

क्रमांक 897 /अ–82/भू–अर्जन/2019–20

साजा, दिनांक 18/02/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम नं. (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा –12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
बेमेतरा	साजा	चिल्फी/01	02 4/12 4/11	0.06 1.00 0.59	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा	झिपनिया जलाशय योजना के डुबान में प्रभावित
		योग :–	3	1.65		

(2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपर्युक्ता/लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4) प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

(5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014 दिनांक 02 मार्च 2015 के द्वारा अधिनियम 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(6) प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा को पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(भोसकर विलास संदीपान)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन राजस्व विभाग

Deputy Collector

Scanned by CamScanner